राजस्थान को उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति

3604. **श्री शिवचरण सिंह :** क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस वर्ष किन-किन उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है, तथा उनकी दरें क्या हैं और इनकी वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ख) राजस्थान को कौन-कौन सी उपभोक्ता वस्तुओं की कितनी-कितनी मात्रा में आपूर्ति की जा रही है;

(ग) विभिन्न राज्यों को उपभोक्ता वस्तुयें आवंटित करने के क्या मानदंड हैं और क्या इन मदों को मनमाने ढंग से आवंटित किया जाता है अथवा जनसंख्या के आधार पर आवंटित किया जाता है; और

(घ) क्या यह सच है कि राजस्थान को अपर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न का आवंटन किया गया है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) वर्ष 1994 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं में केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में वृद्धि का ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

(रु० प्रति क्विंटल)

वस्तु का नाम	से लाग	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये केन्द्रीय निर्गम मूल्य		
		कामन	फाइन	सुपर फाइन
चावल	11-01-93	437	497	518
	01-02-94	537	617	648
गेहूं	11-01-93		330	
	01-02-94		402	
		सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये खुदरा मूल्य		
लेवी चीनी	17-02-93	8.30 रु० प्रति कि०ग्रा०		
	01-02-94	9.05 रु० प्रति कि०ग्रा०		

धान और गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्यों तथा वसूली के बाद प्रचालन लागत में बढ़ोतरी की आंशिक रूप में निष्प्रभावी करने और गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य में वृद्धि को ध्यान में रखते हुये क्रमशः चावल और गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों तथा लेवी चीनी के खुदरा मूल्यों में वृद्धि करना आवश्यक हो गया ।

(ख) वर्ष 1993 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण करने के लिये राजस्थान को आवंटित की गई सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुएं चावल, गेहूं, लेवी चीनी, आयातित खाद्य तेल तथा मिट्टी

का तेल हैं। राज्य को वर्ष 1993 में किया गया आवंटन निम्न प्रकार है:—

(मात्रा हजार मी० टन में)

	1993 (जनवरी–दिसम्बर)
चावल	110.70
गेहूं	1058.50
लेवी चीनी	218.22
आयातित खाद्य तेल	1.40
मिट्टी का तेल	276.88

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार राजस्थान सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का थोक में मासिक आधार पर आवंटन करती है और ऐसा करते समय केन्द्रीय पूल में स्टाक की मात्रा, की गई वसूली, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पारस्परिक आवश्यकताओं तथा मौसमजन्य कारणों को ध्यान में रखती है। सार्वजनिक वितरण है प्रणाली की वस्तुओं का आवंटन अनुपूरक स्वरूप का होता है और इनका प्रयोजन किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की संपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करना नहीं होता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु संचलानात्मक जिम्मेदारी राज्यों/सघ राज्य क्षेत्र की होती है।

Wheat allocation to Orissa for P.D.S.

3605. SHRIMATI 1LA PANDA: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that despite the food production in the country had improved during 1992-93, wheat allocation to the State of Orissa had decreased for distribution under the P.D.S. network whereas even smaller States with less population have got bet',/ share in eoniparison to the year 1991-92 ;

(b) if so, what are the reasons therefore ; and

(c) what effective steps Government propose to take to remove the disparity ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES CONSUMER AFFAIRS & PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI KAMALUDDIN AHMEBfc (a) The allocation of wheat to Orissa in 1991-92 and 1992-93 was as follows :—

(in- XWO tonnes)

	1991-92	1992-93
Wheat	257.50	250.00

(b) and (c) The allocation of wheat to Orissa in 1992-93 was 70,000 tonnes lower than the allocation in 1991-92, but the allocation of rice to the State was 4,32,450 tonnes in 1992-93 as compared to an allocation of 3,70,000 tonnes in 1991-92. The allocation of rice and wheat to the State in 1993-94 was further increased to 4.64 lakh tonnes and 2.70 lakh tonnes respectively. Bulk allocation of food-grains are made to the States every month including Orissa taking into account the stocks in Central Pool, procurement made, inter-se requirements of States/UTs and seasonal factors. Allocation of foodgrains are supplemental in nature and are not intended to meet the total requirement of any State/ U.T.